

संख्यांक 1

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास - उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 42/2017

दायर दिनांक: 15.05.2017

उनवान

1. सीताराम पिता रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. रघुवीर पिता रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. बाबू पिता रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
4. गोमा पिता रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
5. पप्पू पिता रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
6. रतन पिता रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
7. गोरू पिता रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
8. चम्पा पत्नि रोड़िया कंजर निवासी सरदारजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

—प्रतिवादी

उपस्थित :-

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता वादी)
2. श्री पैरोकार (प्रतिवादी)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955

:- निर्णय :-

निर्णय दिनांक : 28.10.2020

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाता है कि ग्राम सरदारजी का खेड़ा पटवार हल्का श्रीनगर के आराजी संख्या 643/223 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा जो कि मनोरमा पिता परबतिया कंजर के नाम एवं ग्राम सरदारजी का खेड़ा पटवार हल्का श्रीनगर में ही आराजी संख्या 195 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 213 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 478/195 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 540/223 रकबा 3 बीघा किता 4 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा जो कि मनोरमा पिता परमान्दिया कंजर के जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में दर्ज रिकार्ड है, दोनो जमाबन्दी खाता में खातेदार का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जाती है। हर्जा खर्चा मुकद्मात फरिक्केन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज 28.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़।



निरन्तर.....

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	आ.पा.	प्रतिवादी	रूपया	आ.पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—	—	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	—
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	—	—	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	—	—	3. प्लीडर की फीस	—	—
4.	—	—	4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
प्लीडर की फीस	—	—			
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—			
6. कमिश्नर की फीस	—	—	5. आदेशिका को तामील	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—	6. कमिश्नर की फीस	—	—


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़।